न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 116 / 2022 **दायर दिनांकः 22.07.2022**

उनवान

1. पांची बाई आयु 70 वर्ष पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट

व धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

निर्णय दिनाकः 17 / 10 / 2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 151 की ख0 नं0 487 रकबा 0.10 है0 भूमि शामलाती खाते में व खाता संख्या 150 की ख0नं0 829 / 488 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 830 / 606 रकबा 0.71 व ख0नं0 831 / 492 का रकबा 0.04 है0 आराजी वादिया के पति मदन गोपाल पुत्र देवलाल जाति गुर्जर निवासी हानिहेडा के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादिया के पति का गावं में बोलता नाम मदन गोपाल था जो पिता की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया था, जबकि पढाई के वक्त मदनलाल लिखाया गया था जो सभी रिकार्ड जैसे आधार कार्ड, पेंशन रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में दर्ज है। वादिया के पति का नाम मदनगोपाल व मदनलाल अलग—अलग दर्ज होने के कारण पति की मृत्यु के बाद मृतक पति के स्थान पर वादिया व वारिसान का नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है जिस्से वादिया एवं वारिसान को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है और कृषि सुधार, कृषि ऋण आदि योजनाओं का लाभ व सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों से वंचित होना पड

रहा है। अतः वादिया अपने मृतक पति का नाम राजस्व रिकार्ड में मदनगोपाल के स्थान पर मदनलाल दर्ज करवाना चाहती है। जिसकी वह अधिकारिणी है। जो बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद माननीय नयायालय में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने व राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। उसके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। मामला मात्र नाम दुरूस्ती का व रिकार्ड दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण वादिया द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बावजूद एवं अंतिम बार प्रतिवादी द्वारा मना करने व न्यायालय की शरण लेने की सलाह देने के बाद माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी ग्राम हानिहेडा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। द्वितीय प्रति संलग्न है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जाए।

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया के पति का नाम मदनगोपाल के स्थान पर मदनलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

3. अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादिया ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम एवं माल हानिहेडा की खाता संख्या 150, 151 की आराजी में वादिया के पति का घर का बोलता नाम मदन गोपाल होने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया गया जो कि गलत नाम है वादिया के पति का सही नाम मदनलाल है जो वादिया व उसके पति के दस्तावेजों में

अंकित है। दस्तावेजों के आधार पर वादिया के पति का नाम मदन गोपाल के स्थान पर मदनलाल दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक वादिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हानीहेडा की जमाबंदी सवंत 2072–75 के खाता संख्या 151 के ख0नं0 487 की 0.10 है0 आराजी मदनगोपाल पुत्र देवलाल व अन्य सहखातेदारों के साथ शामलाती खाते दर्ज है। जमाबन्दी खाता संख्या 150 किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 मदनगोपाल पुत्र देवलाल के खाते दर्ज है।

अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, डाक विभाग का पेंशन दस्तावेज पी0पी0ओ0, राशन कार्ड, एस0बी0आई0 बैंक की पासबुक में वादिया के पति का नाम मदनलाल गुजर अंकित है। वादिया के आधार कार्ड में वादिया के पति का नाम मदन लाल अंकित है जिससे जाहिर होता है कि वादिया के पति का सही नाम मदनलाल ही है। ग्राम पंचायत बरलां के प्रमाण पत्र दिनांक 23.07.2021 अनुसार मदनलाल व मदनगोपाल पुत्र देवलाल जाति गुर्जर निवासी हानिहेडा का निवासी है और यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के खातेदार मदनगोपाल का सही नाम मदनलाल ही है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल हानीहेडा तहसील अटरू के खाता संख्या 151 के ख0नं0 487 रकबा 0.10 है0 एवं खाता संख्या 150 के ख0नं0 829/488 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 830/606 रकबा 0.71 व ख0नं0 831/492 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि में सहखातेदार/खातेदार मदनगोपाल पुत्र देवलाल के स्थान पर मदनलाल उर्फ मदनगोपाल पुत्र देवलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 116/2022 **दायर दिनांकः 22.07.2022**

उनवान

1. पांची बाई आयु 70 वर्ष पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट

व धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल हानीहेडा तहसील अटरू के खाता संख्या 151 के ख0नं0 487 रकबा 0.10 है0 एवं खाता संख्या 150 के ख0नं0 829/488 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 830/606 रकबा 0.71 व ख0नं0 831/492 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि में सहखातेदार/खातेदार मदनगोपाल पुत्र देवलाल के स्थान पर मदनलाल उर्फ मदनगोपाल पुत्र देवलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **19.10.2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)